


नम
अ
दु
म

रीख
कम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए


हिया जाला ही चजावली वाला वधम
पार्वना पत्र साईश ०। निचम 10
हुत फिनोड 15/09/2022 का पेश
ही


सहायक कलेक्टर एवं
अपखण्ड अधिकारी, बावडी

26/09/22




15/8/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। उभय
पक्षकारान् अधिवक्ताओं द्वारा पार्वना पत्र
अन्तर्गत साईश ०। निचम 10 CPC पर
वधम की गयी। तथा जमीलान् वकील
द्वारा एक पार्वना - पत्र अन्तर्गत साईश
22 निचम 4 CPC पेश किया जिस
पर वकील श्री शशील मुनिया द्वारा
No objection किया गया। अतः पार्वना
पत्र साईश 22 निचम 4 स्वीकार किया
जाता है। जमीलान् वकील अशोधित
शीवेड पेश करी पत्रावली वाला साईश
पार्वना पत्र 00। R10 CPC फिनोड 15/8/22
का पेश ही।


सहायक कलेक्टर एवं
अपखण्ड अधिकारी, बावडी

15/8/22

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।
जमीलान् वकील द्वारा अशोधित शीवेड
पेश किया जो शशील मुनिया


सहायक कलेक्टर एवं
अधिकारी, बावडी

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

गया। आर्डर ०। निपम १० पत्रना
पत्र पर पूर्व फिनांक की वदय खुनी गयी।
शी। पत्रावली का अवलीकन किया गया।
वकील श्री सुजिल पुनिया द्वारा प्रस्तुत किया
पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार का
दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं किया। अतः पत्रों
का पत्रना-पत्र अन्तर्गत आर्डर ०। निपम १०
CPC खासि किया जाता है। तभी अपीलार
वकील द्वारा एक पत्रना पत्र प्रस्तुत किया
कि उकरण का परिषद् शरीनामा ही गया
ही पत्रावली की मांग नहीं चलाना
जाएगी है। अतः वाद वादीगण वाद की
मांग जारी नहीं रखने के कारण परिषद्
विही खासि किया जाता है। पत्रावली
के लिये सुमाए हीकट डाम्बर से कम रकम
दक्षित दफतर है।

सहायक क्लर्क ए.
उपखण्ड अधिकारी, पावड़ी